अध्याय–5
खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि

अध्याय–5

खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि

बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन निधि

भारत सरकार ने खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउण्डेशन में अंशदान) नियमावली, 2015 को 12 जनवरी 2015 से प्रभावी बनाया और पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन को किए जाने वाले अंशदान की राशि निर्धारित की (17 सितंबर 2015)। राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के संशोधन के 32 महीने की समाप्ति के बाद खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018[1] का गठन किया (मई 2018)।

बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के नियम 11 के अनुसार, जिला खनिज फाउण्डेशन के अंतर्गत अर्जित धन का व्यय और उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुसार या समय–समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निश्चित तरीके से किया जाएगा और जिला खनिज फाउण्डेशन, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संबंध में और/या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लागू अन्य योजनाओं के संबंध में जारी सभी दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करेगा :

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के अनुसार इसमें नीचे सूचीबद्ध गतिविधियों को शामिल किया गया है –

(i) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र– कम से कम 60 प्रतिशत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित लोगों के लिए इन मदों में किया जाना थाः (क) पेयजल आपूर्ति (ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय (ग) स्वास्थ्य देखभाल (घ) शिक्षा (ड) महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण (च) वृद्व एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण (छ) कौशल विकास और (ज) स्वच्छता।

(ii) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र– कम से कम 40 प्रतिशत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निधि का उपयोग इन मदों में किया जाना था : (क) भौतिक आधारभूत संरचना (ख) सिंचाई (ग) ऊर्जा एंव वाटर–शेड विकास और (घ) खनन जिलों में पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के उपयोग के प्रयोजनों के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों की पहचान करेगा और ऐसे क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार एवं संधारण करेगा।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (सितम्बर 2015) के अनुसार, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का देय योगदान 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद स्वीकृत पूर्वेक्षण लाइसेंस–सह–खनन पट्टों या खनन पट्टों के संबंध में भुगतान की गई रॉयल्टी का दो प्रतिशत होगा। इसके अलावा बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के नियम 9(3) के अनुसार लघु खनिज के मामले में देय योगदान राशि निर्धारित श्रेणी के अनुसार वार्षिक नीलामी/बन्दोबस्त राशि/संयुक्त रॉयल्टी के दो प्रतिशत या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से होगा। ईंट मिट्टी, रॉयल्टी के मामले में परमिट धारक द्वारा देय रॉयल्टी/मौजूदा पट्टा धारक द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी वार्षिक आधार पर प्रभारित की जाएगी और फाउण्डेशन में जमा की जाएगी जो सरकारी लेखा में देय ऐसे छूट की राशि से अतिरिक्त होगी।

---

[1] अधिसूचना संख्या 2197 दिनांक 23.05.2018।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1 जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया जाना : ₹ 82.30 करोड़

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना चयनित जिला खनन कार्यालयों में पाया कि दिसम्बर 2014 से सितंबर 2021 के दौरान कुल राशि ₹ 91.86 करोड़ की (पृथक समग्र निधि और ब्याज सहित) निर्धारित दर पर बालू घाट, पत्थर, चूना–पत्थर की खदानें और ईंट भट्ठों के खनन पट्टे धारकों से वसूल की गई थी और संबंधित जिला खनिज फाउण्डेशन के नाम से खोले गए बैंक खाते में जमा किया गया था और संबंधित जिला समाहर्त्ता और खनन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता था। कुल वसूल की गई राशि में से 13 जिला खनन कार्यालयों[2] में कुल 93 योजनाओं का चयन ₹ 36.60 करोड़ की राशि के लिए किया गया था जिसके विरूद्ध ₹ 9.56 करोड़ का केवल व्यय किया गया था (सितंबर 2021) जैसा कि **परिशिष्ट–17** में वर्णित है। इस प्रकार, विभिन्न जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन ने अपनी प्रभावी तिथि (जनवरी 2015) से पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी और बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन के गठन से साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय के बाद भी जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप, ₹ 82.30 करोड़ अभी भी जिला खनिज फाउण्डेशन निधि में जमा थे। जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न करने के कारण, निधि के उद्देश्य अप्राप्त रहे।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट समिति के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः जिला खनिज फाउण्डेशन के दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के विकास और पुनर्वास कार्य के लिए सुनिश्चित करे।

5.2. कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के संबंध में परीक्षण, जाँच और अन्य उपकरणों की क्रय/स्थापना के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न होना

सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश (मार्च 2020) के अनुसार, कोविड–19 महामारी का मुकाबला करने एवं आकस्मिक राष्ट्रीय हित के लिए, राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन के अंतर्गत उपलब्ध राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत तक कोविड–19 महामारी से प्रभावित रोगियों के इलाज के साथ–साथ प्रसार को रोकने के संबंध में चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं के पूरक एवं संवर्द्धन सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकता था।

पुनः सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र[3] (जून 2020) के संदर्भ में, बिहार के 32 जिलों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लौटे प्रवासियों और इसी तरह प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक बुनियादी ढ़ाँचे के साथ गांवों को संतृप्त करने और आजीविका परिसम्पतियों को बनाने के लिए चुना गया था। यह योजना 125 दिनों के लिए चलाई जानी थी और जिला खनिज फाउण्डेशन से धन का उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना चयनित जिला खनन कार्यालयों में पाया कि इन जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन की कुल उपलब्ध राशि ₹ 69.19 करोड़[4] (मार्च 2021 तक) का ₹ 20.76 करोड़ (30 प्रतिशत) कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग

---

[2] औरंगाबाद, बांका भोजपुर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, शेखपुरा, सीवान और वैशाली।

[3] पत्र संख्या जे–11060/24/2020–आरई–III (371864) दिनांक 22.06.2020।

[4] पृथक समग्र निधि में रखी गई ₹ 13.81 करोड़ शामिल नहीं थी।

और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सुविधाओं को पूरक और बढ़ाने के लिए उपलब्ध था। हालाँकि केवल चार जिला खनन कार्यालयों (भोजपुर, गया, शेखपुरा और सीवान) ने जिला खनिज फाउण्डेशन निधि से ₹ 0.49 करोड़ (दो प्रतिशत) की राशि का मामूली उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए किया। इस प्रकार कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में ₹ 20.27 करोड़ उपलब्ध थे, लेकिन जिला खनन कार्यालयों की निष्क्रियता के कारण यह अप्रयुक्त रहा (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–18** में है)।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई थी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

5.3. पृथक समग्र निधि की राशि का जिला खनिज फाउण्डेशन बैंक खाते में स्थानांतरण नहीं होना: ₹ 29.63 लाख

खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिला समाहर्त्ताओं को पृथक समग्र निधि से प्राप्त राशि को जिला खनिज फाउण्डेशन खाते में अंतरित करने का निर्देश जारी किया (सितम्बर 2018)।

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, भागलपुर में पाया कि बालू खनन पट्टे के पट्टेदार ने पृथक समग्र निधि की राशि ₹ 29.63 लाख (2015 से 2017 की अवधि की बंदोबस्त राशि का 2 प्रतिशत) का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। विवरण **तालिका–13** में निम्नानुसार है:

तालिका–13

क्र. सं.	वर्ष	बंदोबस्त राशि (₹ में)	पृथक समग्र निधि की राशि (₹ में)	बैंक डी डी संख्या/दिनांक
1.	2015	1,87,94,580	3,75,890	024620/27.06.2016
2.	2016	5,88,00,000	11,76,000	024619/27.06.2016
3.	2017	7,05,60,000	14,11,200	001614/01.03.2017
कुल		**14,81,54,580**	**29,63,090**	

इसके अलावा, यह पाया गया (बैंक खाते के विवरण के अनुसार) कि केवल ₹ 15,51,890 (जैसा कि उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेख किया गया है) जिला समाहर्त्ता कार्यालय, भागलपुर द्वारा संधारित बैंक खाते में जमा पाये गये थे एवं कुल शेष राशि कोषागार में प्रेषित की गई (मार्च 2018)।

इसके अलावा, उपरोक्त बैंक खाते में ₹ 14,11,200 का माँगपत्र[5] जमा नहीं पाया गया जो धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की संभावना को बढ़ाता है।

इस प्रकार, जिला खनिज फाउण्डेशन खाता खोलने की तिथि के 45 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी जिला खनन अधिकारी/जिला समाहर्त्ता लुप्त राशि का पता लगाने और पृथक समग्र निधि की राशि को जिला खनिज फाउण्डेशन बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए उचित कार्रवाई नहीं कर सके।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि मामले की जाँच सही तरीके से की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसा: विभाग को धनराशि के ठिकाने की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पृथक समग्र निधि में रखी गई कुल राशि का मिलान किया जाए एवं जिला खनिज फाउण्डेशन के खाते में स्थानांतरित किया जाय।

[5] माँगपत्र सं० 001614 दिनांक 01.03.2017।

5.4. पंजाब नेशनल बैंक में रखी गई पृथक समग्र निधि/जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के एसबीआई खाते में हस्तांतरण न होना और आयकर विभाग द्वारा काटी गई राशि की वसूली न होना

जिला खनन कार्यालय, भोजपुर में लेखापरीक्षा ने पाया कि पृथक समग्र निधि/जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की राशि को अक्टूबर 2018 तक बचत खातों[6] में रखा गया था जिसे 27 जुलाई 2015 को खोला गया था। इसके अलावा, जिला खनिज फाउण्डेशन के लिए एक और बचत खाता[7] 28 सितम्बर 2018 को खोला गया था। जिला समाहर्त्ता, भोजपुर ने पंजाब नेशनल बैंक से पृथक समग्र निधि की राशि जिला खनिज फाउण्डेशन बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया (अक्टूबर और दिसम्बर 2018) लेकिन राशि को लेखापरीक्षा की तिथि तक स्थानांतरित नहीं किया गया था (जुलाई 2021)।

पंजाब नेशनल बैंक खाते की पासबुक के अनुसार 1 दिसम्बर 2019 को कुल शेष ₹ 6.97 करोड़ था। इस प्रकार, जिला खनिज फाउण्डेशन की बड़ी राशि को पंजाब नेशनल बैंक में अप्रयुक्त रखा गया। यह पूर्व में भी (अक्टूबर 2019) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। लेकिन जिला खनन अधिकारी अथवा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आयकर विभाग ने 2014 से 2017 की अवधि के लिए सभी ईंट भट्ठा मालिकों के संबंध में टैन धारक (जिला खनन कार्यालय भोजपुर) द्वारा ई–टीडीएस चूक के लिए आईटी अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत ब्याज सहित जुर्माने का माँगपत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में जिला खनिज फाउण्डेशन खाते से ₹ 88.53 लाख का माँगपत्र आयकर विभाग को हस्तांतरित किया गया (फरवरी 2019)। लेखापरीक्षा द्वारा यह मूद्दा पूर्व में भी उठाया गया था (अक्टूबर 2019) लेकिन जिला खनन कार्यालय द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन राशि की प्रतिपूर्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जुलाई 2021)।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राशि के हस्तांतरण के लिए संबंधित अधिकारी/बैंक से पत्राचार किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः पंजाब नेशनल बैंक में रखी गयी पृथक समग्र निधि की राशि को जिला खनिज फाउण्डेशन के लेखा में स्थानान्तरण के लिए विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।

5.5 जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का एकमुश्त भुगतान न करना

उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या स्थानान्तरित मामला (सिविल) संख्या 2016 का 43, 13 अक्टूबर 2017 के अनुसार कोयला, लिग्नाइट और बालू के अलावा अन्य खनिजों के मामले में जिला खनिज निधि में खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस–सह–खनन पट्टा धारक को जिला खनिज निधि में पूर्ण अंशदान 31 दिसम्बर, 2017 तक किया जाना आवश्यक है, ऐसा नहीं करने पर पट्टेदार देय तिथि से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित अंशदान करने का उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रोहतास जिले की मुरली पहाड़ी में स्थित चूना–पत्थर के खनन पट्टे का नवीनीकरण मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में 02.01.2012 से 20 वर्षों की अवधि के लिए खान एवं भूतत्व विभाग[8] द्वारा एकमुश्त में जिला खनिज निधि का भुगतान करने के शर्त्त के साथ किया गया था (जून 2017)। जिला खनन कार्यालय द्वारा ₹ 1.87 करोड़ की राशि की

[6] पंजाब नेशनल बैंक, आरा शाखा में खाता संख्या 0022000103434856।

[7] भारतीय स्टेट बैंक, आरा शाखा में बचत खाता संख्या 37975902406।

[8] खान एवं भूतत्व विभाग पत्र संख्या 1613 दिनांक 19.06.2017।

गणना जिला खनिज निधि अंशदान के रूप में की गई थी और इसका भुगतान पट्टाधारक द्वारा एकमुश्त भुगतान के स्थान पर 36 किश्तों में किया गया था। जिला खनन कार्यालय द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 44.84 लाख भी आरोपित नहीं की गई थी। इस संबंध में, विभाग द्वारा पहले ही जिला खनन अधिकारी, रोहतास को पत्र जारी किया जा चुका है (सितम्बर 2018), लेकिन अभिलेख में की गई कार्रवाई नहीं पाई गई।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि संबंधित पट्टेदार को माँगपत्र जारी किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

5.6 बालू/पत्थर पट्टाधारकों तथा ईंट भट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का नहीं/कम वसूली होना : ₹ 2.49 करोड़

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच जिला खनन कार्यालयों[9] ने 2018–21 के दौरान बालू और पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि में ₹ 1.87 करोड़, जैसा कि **परिशिष्ट–19** में वर्णित है, और 11 जिला खनन कार्यालयों[10] ने 2017–18 से 2020–21 के दौरान 6,164 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 0.62 करोड़ के अंशदान की वसूली सुनिश्चित नहीं की जैसा कि **परिशिष्ट–20** में वर्णित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ की जिला खनिज फाउण्डेशन निधि अंशदान का नहीं/कम वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि उचित जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

5.7 बालू के अधिक निष्कर्षण के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का आरोपण न होना : ₹ 21.16 लाख

बालूघाटों के लिए बंदोबस्त आदेश की अधिसूचना संख्या 2/एमएम (बी) 02/09 भाग–(1)–61/एमसी दिनांक 13–03–2013 के खंड 15 (ii) के अनुसार, पट्टेदार को बंदोबस्त राशि के बराबर बालू की मात्रा से अधिक निकाली गई बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना था। अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए इस प्रकार एकत्र की गई राशि किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जिला खनन कार्यालय, नवादा में पट्टेदार को निकाली गई बालू की अधिक मात्रा के लिए 2017–19 की अवधि के लिए ₹ 4.15 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान करना था। पट्टेदार ने वर्ष 2017 और 2018 के लिए क्रमशः ₹ 1.43 करोड़ और ₹ 1.46 करोड़ अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया था। पट्टेदार को निकाली गई बालू की अधिक मात्रा के लिए प्रभारित अतिरिक्त रॉयल्टी पर ₹ 8.30 लाख जिला खनिज फाउण्डेशन को भी भुगतान करना था, लेकिन पट्टेदार ने इसका भुगतान नहीं किया (सितम्बर 2021)।
- जिला खनन कार्यालय, पटना में पट्टेदार ने निकाली गई बालू की अधिक मात्रा के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन के ₹ 12.85 लाख (सितम्बर 2021) का भुगतान नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट–21** में दिया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसा: विभाग को सभी खनिज रियायत धारकों से निर्धारित राशि की कटौती और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि में हस्तांतरण के लिए इन्हें सरकारी खाते में जमा करने को सुनिश्चित करना चाहिए।

[9] औरंगाबाद, बांका, नवादा, रोहतास और शेखपुरा।

[10] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, सारण, सीवान, शेखपुरा और वैशाली।

5.8 बालू घाटों एवं पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलंबित भुगतान पर ब्याज का आरोपण न होना : ₹ 1.67 करोड़

यह पाया गया कि 10 जिला खनन कार्यालयों[11] में बालू घाटों के पट्टेदारों ने जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का भुगतान पंचांग वर्ष 2015 से 2019 के दौरान एवं विस्तारित अवधि मार्च 2021 तक एक से 443 दिनों के विलंब से किया।

आगे यह पाया कि तीन जिला खनन कार्यालयों[12] में पत्थर खदानों के पट्टेदारों ने पंचांग वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक से 965 दिनों के विलम्ब के साथ जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का भुगतान किया था। जिला खनिज फाउण्डेशन के प्रावधानों के अनुसार, पट्टेदारों द्वारा भुगतान में विलम्ब की स्थिति में, संबंधित जिला खनन अधिकारियों को ₹ 1.67 करोड़ (24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से) का ब्याज आरोपण करना था। इस प्रकार, जिला खनिज फाउण्डेशन के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का आरोपण नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–22** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग यह सुनिश्चित करे कि बालू/पत्थर पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलंबित भुगतान पर ब्याज का आरोपण एवं संग्रहण किया गया है।

5.9 जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के खाते का संधारण न करना

बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के नियम 12 के अनुसार, जिला खनिज फाउण्डेशन का लेखा उस प्रपत्र, प्रकार और तरीके से संधारित और लेखे की लेखापरीक्षा उस तरीके से किया जाएगा जो सरकार द्वारा निश्चित की जाय। लेखापरीक्षा के पश्चात जिला खनिज फाउण्डेशन सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा। पुनः, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के नियम 6 के अनुसार, जिला खनिज फाउण्डेशन के खातों का लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष एक सनद लेखाकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य तरीके से किया जाएगा, और इसके प्रतिवेदन को वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा के अधीन फाउण्डेशन की वार्षिक प्राप्तियों के पाँच प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग फाउण्डेशन की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागत के लिए नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना चयनित जिलों में पाया कि जिला खनिज फाउण्डेशन के अलग बैंक खाता, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एवं जिला खनिज फाउण्डेशन का अलग रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जा रहा था। संबंधित जिला खनन अधिकारियों द्वारा केवल जिला खनिज फाउण्डेशन का मांग और संग्रहण पंजी का संधारण किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जिला खनिज फाउण्डेशन ने इसके सृजन के बाद से लेखापरीक्षा करने के लिए सनद लेखाकार की नियुक्ति नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने बताया कि रोकड़ बही के रख–रखाव के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा विभाग से जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट की लेखापरीक्षा हेतु निर्देश लिया जायेगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

---

[11] औरंगाबाद, भोजपुर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण और वैशाली।

[12] औरंगाबाद, नवादा और शेखपुरा।

अनुशंसाः विभाग जिला खनिज फाउण्डेशन दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे तथा जिला खनिज फाउण्डेशन के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सनद लेखाकार की नियुक्ति करे।

5.10 साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क एवं जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली होना : ₹ 4.58 करोड़

सात जिला खनन कार्यालयों[13] में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 10.91 करोड़ ठेकेदारों/एजेंसियों द्वारा साधारण मिट्टी के निष्कर्षण के लिए रॉयल्टी के रूप में जमा किये गये थे। यह भी पाया गया कि ठेकेदारों/एजेंसियों ने संबंधित जिला खनन अधिकारियों से वैध परमिट प्राप्त किए बिना साधारण मिट्टी का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–23** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 4.58 करोड़ की रॉयल्टी एवं मालिकाना शुल्क एवं जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली हुई।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि ठेकेदारों ने जिला खनन अधिकारियों को कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया था। अतः जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि किसी विशेष कार्य में कितनी मात्रा में मिट्टी की खपत हुई। इस संबंध में, जिला खनन अधिकारियों ने कार्य का प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराने तथा देय रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क एवं जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की वसूली नहीं करने पर ठेकेदारों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनिज अधिकारी ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

[13] औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, पटना, सारण और वैशाली।